



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2682 अका./वि.प.स्थायी समिति/2024

रायपुर, दिनांक 18/02/2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक रविवार, दिनांक 18.02.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	-	सदस्य
3. डॉ. व्यास दुबे	-	सदस्य
4. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	-	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	-	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	-	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	-	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	-	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	-	सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार	-	सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शास. मिनीमाता कन्या महा. बलौदाबाजार	M.Sc. III/IV Sem.- Home Science- Food Science & Nutrition	25	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग-ब के बिंदु क्र. 14(ii) में समस्त पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रश्नपत्रों के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	सत्य नारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	30	2023-24
		B.A.-I- Geography- Add. Subject	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष -आ. पा.- हिन्दी, अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र	90	2023-24
		बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह) आ.पा.-हिंदी, अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	60	
		बी.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस) प्रथम वर्ष आ.पा.-हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कम्प्यूटर भौतिकशास्त्र	60	
		बी.काम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- बी.काम. कम्प्यूटर	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद	B.Sc.-II - Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023-24
		B.Sc.-II - Maths Group - (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.A.-II - (F.C.- Hindi, English), Political Science, Economics, History	90	
		B.Com. -II - All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
v.	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर	बी.एस-सी. (सी.एस.) (नवीन विषय)	40	2023-24
		बी.एस-सी. (आई.टी.) (नवीन विषय)	40	
		एम.एस-सी. (आई.टी.) (नवीन विषय)	30	
		एम.ए. हिंदी (नवीन विषय)	30	
		एम.ए. राजनीति विज्ञान (नवीन विषय)	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

04. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के पूरक विषय सूची बिंदु क्रमांक 04 की अनुशंसानुसार Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) में आवश्यक संशोधन पर विचार करना।

निर्णय: Ph.D Thesis Evaluation Report के पृष्ठ क्रमांक 3 के Detach the sheet if you feel that no questions are to be asked from the candidate को विलोपित करते हुए (5 to 10 question) जोड़कर संशोधित प्रपत्र (Form) की अनुशंसा की गई।



05. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्ध शास. दू.ब. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर के एम.ए. समाजशास्त्र या अंग्रेजी विषय में से किसी एक परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा को सत्र 2018-19 से 'स्व. सुशांता कोदूराम गजपाल स्मृति स्वर्ण-पदक' (LATE. SUSHANTA KODURAM GAJPAL MEMORIAL GOLD MEDAL) प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की अनुशंसा करना।

निर्णय: दानदाता श्री कुमारचंद गजपाल एवं श्रीमती कुलेश्वरी गजपाल, ग्राम-सिकोसा, तह.-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) द्वारा 'स्व. सुशांता कोदूराम गजपाल स्मृति स्वर्ण-पदक' (LATE. SUSHANTA KODURAM GAJPAL MEMORIAL GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2018-19 से एम.ए. समाजशास्त्र या अंग्रेजी विषय में से किसी एक परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक-211 की अनुशंसा की गई। यह स्वर्ण-पदक 27वें दीक्षांत समारोह से सत्र 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई।

06. M.Sc. Renewable Energy Technology की Syllabus वर्ष 2024-25 के लिए तैयार पाठ्यक्रम को इलेक्ट्रानिकी अध्ययन मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

07. विनय चौधरी, शोध छात्र भूगोल द्वारा शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु जमा किए जाने के पूर्व विभागीय शोध उपाधि समिति (DRC) के समक्ष Pre-Presentation के दौरान DRC के द्वारा दिए गए सुझाव को समाहित करने से शोध निर्देशक द्वारा मान्य नहीं किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश 45 की कंडिका 13 के प्रावधान के अनुसार शोध निर्देशक के निर्णय को अंतिम मान्य किए जाने की अनुशंसा की गई।

08. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.02.2024 में लिए गए निर्णय की अनुशंसा करना।

निर्णय: तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.02.2024 में लिए गए निर्णय का निम्नानुसार अनुशंसा की गई -

“(1) विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-184 इंटिग्रेटेड एम.एस-सी. प्रोग्राम ऑफ सी.बी.एस. को सरल क्रमांक-1 में अंकित Physics, Chemistry, Mathematics and Biology के स्थान पर Physics, Chemistry, Mathematics Botany and Zoology समाहित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(2) अध्यादेश क्रमांक-184 के सरल क्रमांक-2 की कंडिका (iv) Biology को विलोपित कर उसके स्थान पर (iv) Botany (v) Zoology को स्थापित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।”

गठित समिति के द्वारा तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।

09. शिक्षा अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

10. अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार निम्नानुसार नवीन अध्यादेश की अनुशंसा करना -

(1) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.A.B.Ed. Course,

(2) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Sc. B.Ed. Course एवं

(3) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Com. B.Ed. Course

निर्णय: नवीन अध्यादेश की निम्नानुसार अनुशंसा की गई।

(1) Ordinance No.- 207 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.A.B.Ed. Course,

(2) Ordinance No.- 208 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Sc. B.Ed. Course एवं

(3) Ordinance No.- 209 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Com. B.Ed. Course

11. अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार राजभवन के पत्र क्र. 4180/5390/2023/रास/यू-1, दिनांक 28.07.2023 के सापेक्ष प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 178 के संबंध में विचार करना।

निर्णय: उपसचिव, राजभवन के पत्र क्रमांक राजभवन के पत्र क्र. 4180/5390/2023/रास/यू-1, दिनांक 28.07.2023, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 4160/1407/सम./23, दिनांक 16.08.2023 के सापेक्ष प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्र. 178 M.Tech. in Opto Electronics & Laser Technology की अनुशंसा की गई।

12. B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुमति एवं परिनियम व अध्यादेश में निम्नांकित संशोधन प्रस्तावित है -

Statute/Ordinance	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
Statute No.-10- Board of Studies	Name of faculty Sr. No. 3 Faculty of Science में नया सरल क्रमांक 11 Forensic Science	
Revised Ordinance No. 21 Bachelor of Science	कंडिका 6(2) में निम्नलिखित विषय समूह सम्मिलित किया जाना है - <ul style="list-style-type: none"> • Forensic Science, Physics & Chemistry. • Forensic Science, Chemistry & Botany. • Forensic Science, Chemistry & Zoology. • Forensic Science, Chemistry & Anthropology. • Forensic Science, Botany & Anthropology. • Forensic Science, Zoology & Anthropology. • Forensic Science, Chemistry & Biochemistry. • Forensic Science, Chemistry & Microbiology. • Forensic Science, Chemistry & Biotechnology. • Forensic Science, Chemistry & Mathematics. • Forensic Science, Chemistry & Geology. • Forensic Science, Chemistry & Computer Science 	B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ किया जाना है।
Revised Ordinance No. 170 Ordinance for Semester System	कंडिका 2(j) में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाना है - j) For admission in M.Sc. Forensic Science a candidate must have a Bachelor's degree in Science, Forensic Science, Medical Science, Engineering, Pharmacy, Dentistry, Ayush.	

निर्णय: B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुमति एवं परिनियम व अध्यादेश में निम्नानुसार अनुशंसा की गई -

- (1) B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।
- (2) Statute No.-10- Board of Studies में Name of faculty Sr. No. 3 Faculty of Science में नया सरल क्रमांक 11 Forensic Science सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की गई।
- (3) Revised Ordinance No. 21 Bachelor of Science में कंडिका 6(2) में विषय समूह का संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।
- (4) Revised Ordinance No. 170 Ordinance for Semester System में कंडिका 2(j) में निम्नलिखित प्रावधान - j) For admission in M.Sc. Forensic Science a candidate must have a Bachelor's degree in Science, Forensic Science, Medical Science, Engineering, Pharmacy, Dentistry, Ayush. सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की गई।



13. प्रबंध संस्थान में प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम B.Com., M.Com. एवं B.B.A. प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रबंध संस्थान में आगामी शिक्षा सत्र 2024-25 से नवीन पाठ्यक्रम B.Com., M.Com. एवं B.B.A. स्ववित्तीय मद से प्रारंभ किए जाने की अनुशंसा की गई।

14. प्रबंध अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना।

निर्णय: प्रबंध अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की अनुशंसा निम्नानुसार किया गया :-

1. छात्रों के ज्ञापन एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के B.B.A. पाठ्यक्रम का अध्यादेश क्रमांक-91 की बिन्दु क्रमांक-14 पर विचार किया गया एवं अनुशंसा की गई कि छात्र/छात्राएँ 4th Sem. ATKT की परीक्षा 6th Sem. के साथ ही देता है और 6th Sem. का परीक्षा आवेदन ना भर पाने की स्थिति में छात्र/छात्रा का 01 वर्ष खराब हो जाता है।

अतः छात्र/छात्रा को 4th Sem. ATKT की परीक्षा के साथ B.B.A 6th Sem.. की परीक्षा फार्म भरने की अनुमति प्रदान की जाए और 6th Sem.. का परीक्षा परिणाम तभी घोषित किया जाए जब वह 4th Sem. ATKT का परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।

2. मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट (द्वि-वर्षीय) पाठ्यक्रम शिक्षा सत्र 2024-25 से प्रारंभ किया जाने हेतु पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया है।

15. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
2	राजीव गांधी शास. कालेज, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
3	शास. नवीन महाविद्यालय, आमदी, जिला-धमतरी
4	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महा. बलौदाबाजार (सत्र 2019-20, 2020-21, 2022-23)
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	कृती स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरवहा, रायपुर

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्ग की सीधी भर्ती तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत किए जाने वाले प्रमोशन से संबंधित बिन्दुओं के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के तहत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्ग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत किए जाने वाले प्रमोशन तथा सीधी भर्ती के पदों के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा की गई -

1. विश्वविद्यालय ग्रंथपाल के विभिन्न लेवल पर प्रमोशन हेतु प्रस्तावित आवेदन प्रपत्र की अनुशंसा की गई।

2. अध्ययनशालाओं में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन प्रपत्र में आंशिक परिवर्तन करते हुये यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र में पदस्थ शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन हेतु प्रस्तावित आवेदन प्रपत्र की अनुशंसा की गई।

3. कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत एशोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पदों पर प्रमोशन में चयन समिति के मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित अंक विभाजन की अनुशंसा की गई।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन-2018 (Appendix II, Table 2) में Matter Related to Research Score (रिसर्च स्कोर) Augmentation के लिए निर्णय लेने हेतु। UGC Regulation 2018 में Research Score Augmentation हेतु निम्न प्रावधान वर्णित है-

The Research score for research papers would be augmented as follows:
Peer-Reviewed or UGC-listed Journals [Impact factor to be determined as per Thomson Reuters (Clarivate Analytics) list]

i.	Paper in refereed journals without impact factor	-	05 Points
ii.	Paper with impact factor less than 1	-	10 Points
iii.	Paper with impact factor between 1 and 2	-	15 Points
iv.	Paper with impact factor between 2 and 5	-	20 Points
v.	Paper with impact factor between 5 and 10	-	25 Points
vi.	Paper with impact factor >10	-	30 Points.

उक्त प्रावधान की कंडिका (i) के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि

- (a) Thomson Reuters लिस्ट में शामिल तथा बिना Impact Factor वाले Journals के लिए अतिरिक्त 5 अंक दिया जाना है, अथवा
(b) कोई भी Refereed Journals जिसका Impact Factor नहीं है उसके लिए अतिरिक्त 5 अंक दिया जाना है।

(a) अमान्य करते हुए (b) को मान्य किए जाने की अनुशंसा की गई।

5. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम के खण्ड-49 के उपखण्ड 2(ii)

- (ii) Three experts in the concerned subject nominated by the Kulapati out of the panel approved by the Academic Council of the University
के अंतर्गत चयन समिति हेतु सदस्य विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष से सलाह लेकर कुलपति जी को एकेडमिक काउंसिल से विषय विशेषज्ञों का पेनल तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु अधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गई।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के कंडिका

6.0 SELECTION PROCEDURE:


- IV. The process of selection of a Professor shall involve the inviting of the application developed by the respective university, based on the Assessment Criteria and Methodology guidelines set out in these Regulations in Appendix II, Table 1 and 2 and reprints of all significant publications of the candidates.


Provided that the publications submitted by the candidate shall have been published during the qualifying period.

Provided further that such publications shall be made available to the subject experts for assessment before holding the interview. The evaluation of the publications by the experts shall be taken into consideration while finalizing the outcome of selection.

के दृष्टिगत प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन तथा सीधी भर्ती दोनों में साक्षात्कार के पहले विशेषज्ञ से अभ्यर्थी के प्रकाशन का मूल्यांकन कराये जाने पर तथा मूल्यांकन रिपोर्ट साक्षात्कार के पूर्व चयन समिति को उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलपति
सचिव

पृ. क्रमांक : 2683 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024

रायपुर, दिनांक 18 / 02 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)